CN-85203/15 (31)

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

पत्रांक-....13.....(लो),

प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार,पटना।

दिनांक-..22..वी,जनवरी 2015 ई.।

विषयः- मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा किये गये शिकायतों का निष्पादन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक- ग्रा0वि0वि0-8(थ) 132/2009 (खंड)-135319 दिनांक-11.01.2013 एवं पत्रांक-161125 दिनांक-27.08.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित कुल-321 (तीन सौ ईक्कीस) प्राप्त शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा किये गये कुल-312 (पूर्व में-282 वर्तमान में-30) शिकायतों का निष्पादन की सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या पावती स्वीकार किया जाय।

अनुग्नकः- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
DKumar 22-1-2015
(धर्मेन्द्र कुमार)
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

OSP (K. Siddharth)

16 MAR 2015

18/3/15

Ombudsman,mgnrega,Madhepura.

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

लोकपाल का मासिक कार्य प्रतिवेदन

प्रपत्र

जिला का नाम– मधेपुरा माह–जनवरी (21.01.2015 तक) वर्ष– 2014–15

क.	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	धर्मेन्द्र कुमार	09	03	321	282+30=312	***शिकायत का विषयः–*** 1. श्री फुलकुमार यादव पिता पचेन यादव ,सा0 जोगवनी वार्ड सं0–15,ग्राम पंचायत चिकनी,प्रखंड गम्हरिया,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। ***शिकायतवार सारः–*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन	

						उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री फुलकुमार यादव को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2404 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष- 02/2014-15 में दिनांक-08. 01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** 2. श्री शंभू यादव पिता भूमि यादव ,सा0 जोगवनी वार्ड सं0-15,ग्राम पंचायत चिकनी,प्रखंड गम्हरिया,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। ***<u>शिकायतवार सारः-</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,	

						मनरेगा, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री शंभू यादव को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2406 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष-02/ 2014-15 में दिनांक-08.01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** 3. श्री राजकुमार यादव पिता पचेन यादव ,सा0 जोगवनी वार्ड सं0-15,ग्राम पंचायत चिकनी,प्रखंड गम्हरिया,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। ***<u>शिकायतवार सारः-</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,	

						मनरेगा, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री राजकुमार यादव को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2405 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष-02/ 2014-15 में दिनांक-08. 01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** 4. **श्री राजेश कुमार पिता भोला यादव ,सा0 जोगवनी वार्ड सं0-13,ग्राम पंचायत चिकनी,प्रखंड गम्हरिया,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है।** ***<u>शिकायतवार सारः-</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की	

मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2407 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष-02/2014 -15 में दिनांक-08.01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषयः-

5. श्री भवेश कुमार उर्फ भवेश यादव पिता भोला यादव ,सा0 जोगवनी वार्ड सं0-13, ग्राम पंचायत चिकनी,प्रखंड गम्हरिया,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड रहने के बावजूद भी काम नहीं देने से संबंधित है।

शिकायतवार सारः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,

					गम्हरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री भवेश कुमार उर्फ भवेश यादव का नया जॉब कार्ड निर्गत किया जा चूँका है। जॉब कार्ड सं0-2089 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष-02/ 2014-15 में दिनांक-08.01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** 6.श्री गजेन्द्र यादव एवं श्रीमति उषा देवी पति-गजेन्द्र यादव,ग्राम पंचायत-जिरवा मधैली, वार्ड सं0-02, प्रखंड- शंकरपुर ,जिला-मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में काम करने से संबंधित है। ***<u>शिकायतवार सारः-</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल	

						मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, शंकरपुर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, शंकरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, शंकरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री गजेन्द्र यादव वार्ड सं0-02 जिरवा मधैली एवं उनके परिवार के द्वारा जॉब कार्ड एवं काम की मांग किया गया था। श्री गजेन्द्र यादव को उनके आवेदन के आधार पर जॉब कार्ड निबंधन सं0-1947 उपलब्ध करा दिया गया। जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के उपरान्त अबतक इनके द्वारा कार्य की मांग न देकर मेठ बनाने हेतु मौखिक रूप से कहा गया था। लेकिन ग्राम सभा में अब तक इनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गजेन्द्र यादव का आवेदन प्राप्त होने पर उनको कार्य मुहैया करा दिया जायेगा। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** **7. श्री सुधीर सरदार पिता महेन्द्र सरदार,**	

						ग्राम–खुट्टीरही,ग्राम पंचायत रामनगर महेश, प्रखंड– कुमारखंड,जिला–मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना से पी.सी.सी. एवं रोड ढ़लाई एवं बी.पी. एल. परिवार के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य में भारी अनियमितता से संबंधित है। ***<u>शिकायतवार सारः–</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखंड से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, कुमारखंड द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि रामनगर महेश के वार्ड नं.–08 में बी.पी.एल. परिवार के घर–आंगन में मिट्टी भराई एवं पी.सी.सी. ढलाई का अभिलेखीय जाँच की गई। अभिलेखीय जाँच में पाया गया कि वार्ड नं.–08 में इस दो योजना, बी.पी.एल. परिवार के घर–आंगन में मिट्टी भराई से संबंधित तथा एक पी.सी.सी. ढलाई कार्य है। बी.पी.एल. परिवार में मिट्टी भराई से संबंधित योजना सं0–03/2011–12 में कुल 23 परिवारों का प्राक्कलन तैयार किया गया था। जाँच के क्रम में वहाँ उपस्थित लाभुकों से पूछ–ताछ की गई।	

					लोगों ने स्वीकार किया कि हमलोगों के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य किया गया है एवं किये गये कार्य में हमलोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। पी.सी.सी. ढलाई कार्य योजना सं0-06/13-14 है। इस योजना में स्थलीय जाँच के क्रम में जगह-जगह मोटाई एवं चौड़ाई मापी गई। माप लेने के क्रम में पाया गया कि मोटाई 8 फीट (लगभग) एवं चौड़ाई 10 फीट एवं कहीं-कहीं 10 फीट से भी अधिक पाया। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** **8.** श्री छट्टू मंडल(वार्ड सं0-04) एवं अन्य 22 शिकायतकर्ताः- **9.** श्री छेदी मंडल (10) श्री गोपाल मंडल (11) श्री पवन मंडल (12) श्रीमति संझा देवी (13) श्री शिवो मंडल(14) श्री विशुनदेव मंडल (15) श्री मुशहरू मंडल (16) श्री लखन साह (17) श्रीमति मंजू देवी (18) श्री भूमि ताँती (19) श्री अर्जुन साह (20) श्री अनिल साह (21) श्री नंदेलाल मंडल (22) श्री वरिशलाल	

						मंडल (23) श्री मिथिलेश मंडल (24) श्रीमति सुलेखा देवी (25) श्री भूपेन्द्र साह (26) श्रीमति मुरका देवी (27) श्री प्रदीप साह (28) श्रीमति अकाली देवी (29) श्री सुकुमार मंडल (30) श्रीमति गीता देवी, ग्राम पंचायत श्रीनगर वार्ड सं0-04,प्रखंड घैलाढ़,जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में मिट्‌टी भराई कार्य में काम करने के बावजूद भी मजदूरी नहीं देने से संबंधित है। ***शिकायतवार सारः-*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, घैलाढ़ से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, घैलाढ़ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त लोकपाल मनरेगा कार्यालय के पत्रांक-164 दिनांक-20.11.2014 के आलोक में दोनो पक्षों की उपस्थिति में दिनांक-29.11.2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सुनवाई हेतु पत्र निर्गत किया गया। लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा कार्यालय में दिनांक-29.11.2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई के दौरान पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत-श्रीनगर एवं तत्कालीन	

						पंचायत तकनीकि सहायक,प्रखंड घैलाढ़ उपस्थित हुए। कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा,घैलाढ़ उपस्थित नहीं हो सके। सुनवाई के दौरान उपर्युक्त सभी शिकायतकर्ता में केवल 07(सात) शिकायतकर्ता (1) श्री छट्ठू मंडल (2) श्री छेदी मंडल (3) गोपाल मंडल (4) विशुनदेव मंडल (5) भूमि ताँती (6)मिथलेश कुमार मंडल (7) अर्जुन साह उपस्थित रहे। शेष 16 (सोलह) शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे। दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई के दौरान अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि उपस्थित 07(सात) शिकायतकर्ता में से 02(दो) शिकायतकर्ता का (श्री छट्ठू मंडल एवं अर्जुन साह) नाम मस्टर रोल में था एवं उसका मजदूरी का भुगतान एडभाईस के माध्यम से बैंक के द्वारा किया जा चुका है। शेष 05(पाँच) शिकायतकर्ता का नाम मस्टर रोल में नहीं था एवं पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा कहा गया कि इसके द्वारा इस योजना में काम नहीं किया गया है इसलिए इसका मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा कहा गया कि उपर्युक्त सभी शिकायतकर्ता में से जो भी शिकायकर्ता मिट्टी भराई कार्य में काम किया है उसका भुगतान एडभाईस के माध्यम से कर दिया गया है। शेष जो भी	

						माध्यम से कर दिया गया है। शेष जो भी बचे शिकायतकर्ता है उसका शिकायत गलत है। अतः अभिलेखीय जाँचोपरान्त उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।	

Dkumar 22-1-2015
(धर्मेन्द्र कुमार)
लोकपाल, मनरेगा,
मधेपुरा।

CN – 3590/15

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

पत्रांक–...02.......(लो),

प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सेवा में

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार,पटना।

दिनांक–..02..वी,जनवरी 2015 ई.।

विषयः– मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा किये गये शिकायतों का निष्पादन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक– ग्रा0वि0वि0–8(थ) 132/2009 (खंड)–135319 दिनांक–11.01.2013 एवं पत्रांक–161125 दिनांक–27.08.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित कुल–318 (तीन सौ अठ्ठारह) प्राप्त शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा किये गये कुल–282 (पूर्व में–243 वर्तमान में–39) शिकायतों का निष्पादन की सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या पावती स्वीकार किया जाय।

अनुग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(धर्मेन्द्र कुमार) 2.1.15
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

Ombudsman,mgnrega,Madhepura.

लोकपाल का मासिक कार्य प्रतिवेदन

प्रपत्र

जिला का नाम- मधेपुरा माह-दिसम्बर वर्ष- 2014-15

क.	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार
01	02	03	04	05	06	07
1.	धर्मेन्द्र कुमार	36	08	318	243+39=282	**शिकायत का विषय:-** 1. श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व0 परमेश्वरी मेहता,ग्राम पंचायत पुरैनी वार्ड नं0-08,प्रखंड पुरैनी जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना से मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य में भारी अनियमितता से संबंधित है। **शिकायतवार सार:-** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरैनी से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम

						पदाधिकारी, मनरेगा, पुरैनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड पुरैनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरैनी की योजना बिशहरी स्थान ईट सौलिंग से सुखदेव मेहता के घर तक जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य जिसकी योजना सं0-01/2009-10 है और इस योजना की प्राक्कलित राशि-70900/- रू. मात्र की है। और पुनरीक्षित प्राक्कलन-82004/- रूपये की है। मापी पुस्त की राशि-78004/- रू0 की है। स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रतीत होता है कि अभिकर्त्ता श्री राजेश रंजन,पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है। प्राक्कलन सिर्फ मिट्टी भराई कार्य का है,ईट सौलिंग का नहीं है। मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। कार्य करते हुए मजदूरों का भी फोटो अभिलेख में संलग्न है और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी बतलाया गया कि मिट्टी भराई का कार्य हुआ है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।	

58

					शिकायत का विषयः– 2. परिवाद/शिकायतकर्त्ता श्रीमति उरिया देवी पति–स्व0 रामलखन राम, ग्राम–बुढ़ी, पो0–मुरहो,ग्राम पंचायत–मुरहो, प्रखंड + जिला–मधेपुरा द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। ***शिकायतवार सारः–*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता उरिया देवी को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसका जॉब कार्ड सं.–2537 है। शिकायतकर्ता को काम भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता को मुरहो पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0–11 में बी.पी.एल. परिवार के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य में कार्य का आवंटन कर दिया गया है तथा दिनांक–11.12.2014 से 24.12.2014 तक का ई–मस्टर रॉल क्रमांक–4285 निर्गत किया जा चुका है। अतः कार्यक्रम पदाधिकारी,मधेपुरा	

https://webmail.nic.in/attach/152.jpg?sid=&mbox=INBOX&uid=91717&number=8&filename=1... 05-01-201

						के द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है। ***<u>शिकायत का विषयः-</u>*** परिवाद/शिकायतकर्त्ता का नाम 3. श्री राजेन्द्र ऋषिदेव पिता स्व0 दुलारचन्द ऋषिदेव 4. श्री अरूण राम पिता जीतन राम 5. श्री मनोज राम पिता चमरू राम 6. श्री सनजया राम पिता स्व0 रमोतार राम 7. श्री बरूण राम पिता जीतन राम 8. श्री सत्तो राम पिता स्व0 मिसरी राम 9. श्रीमति जया देवी पति बिरेन्द्र राम 10.श्री सिकेन्दर राम पिता स्व0 दुखा राम 11.श्री उमेश राम पिता जीतन राम 12.श्री दिनेश राम पिता स्व0 मिसरी राम 13.श्री नन्दू राम पिता स्व0 भद्री राम 14.श्री शंभू राम पिता भूवनेश्वर राम 15.श्रीमति कोशल्या देवी पति अरूण राम 16.श्रीमति पूणम देवी पति उमेश राम 17.श्रीमति सूकुमारी देवी पति बरूण राम 18.श्री गणेश राम पिता जीतन राम 19.श्रीमति आशा देवी पति संजय राम 20.श्रीमति परिया देवी पति स्व0 कारी राम 21.श्री सुभाष राम पिता नन्दू राम 22.श्री पप्पू राम पिता सरूप राम 23.श्रीमति गौरी देवी पति सिकेन्दर राम 24.श्री संजय राम पिता स्व0 रामोतार राम	

https://webmail.nic.in/attach/153.jpg?sid=&mbox=INBOX&uid=91717&number=9&filename=1... 05-01-201

						25.श्रीमति गुड़िया देवी पति सनोज राम 26.श्री उपेन्द्र राम पिता स्व0 चमरू राम 27.श्रीमति आशा देवी पति अशोक राम 28.श्री संतोष राम पिता स्व0 बिरेन्द्र राम 29.श्रीमति रिंकु देवी पति संतोष राम 30.श्रीमति मुखरी देवी पति राजेन्द्र ऋषिदेव 31.श्री रामदेव ऋषिदेव पिता राजेन्द्र ऋषिदेव 32.श्रीमति जालो देवी पति सत्तो राम 33.श्रीमति प्रभा देवी पति मनोज राम 34.श्री सरोज राम पिता मनोज राम 35.श्री चन्दन राम पिता अरूण राम 36.श्री शंकर राम पिता भीरो राम 37.श्री सरदीप राम पिता सीताराम राम 38.श्री कपिलदेव राम पिता तेतर राम 39.श्रीमति मंजूला देवी पति स्व0 रामोतार राम ग्राम पंचायत रजनी, मंदिर टोला वार्ड सं0-13 प्रखंड-मुरलीगंज द्वारा किया गया शिकायत मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत रजनी से प्राप्त शिकायत आवेदन सुमित कुमार मंडल, पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत रजनी, प्रखंड मुरलीगंज के द्वारा बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर 110-/रू. लेने एवं पासबुक नहीं देने से संबंधित है। ***<u>शिकायतवार सारः-</u>*** प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,	

						मुरलीगंज से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से आवश्यक कागजात उपलब्ध करते हुए पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत रजनी को वसुधा केन्द्र के सहयोग से 07 (सात) दिनों के अंदर खाता खुलवाने हेतु कहा गया। खाता खोलने के उपरान्त भवदीय को सूचित कर दिया जायेगा। अतः कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज को निदेशित करते हुए कि निर्णय प्राप्ति के 07(सात) दिनों के अंदर सभी शिकायतकर्ता का खाता खुलवाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चत करेंगे, उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।	

2.1.15.
(धर्मेन्द्र कुमार)
लोकपाल, मनरेगा,
मधेपुरा।

81

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

पत्रांक–....01.......(लो),

प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
पटना।

मधेपुरा,दिनांक....02..,जनवरी 2015 ई0।

विषयः– **मधेपुरा जिला में पदस्थापित लोकपाल,मनरेगा द्वारा वित्तीय वर्ष–2014–15 का त्रि–माषिक प्रतिवेदन (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर–2014) एवं दिये गये निर्णय का प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला में दिनांक–31.12.2014 तक कुल–318 (तीन सौ अठ्ठारह) प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल,मनरेगा,मधेपुरा द्वारा 282 (दो सौ बेरासी) शिकायतों का सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। जिसमें माह–अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर–2014 में कुल–42 (बियालीस) शिकायतों का निर्णय पारित किया गया है।

अतः माह–अक्टूबर,नवम्बर दिसम्बर 2014 का त्रि–माषिक कुल– 42(बियालीस) शिकायतों का लिये गये निर्णय का अद्यतन छाया प्रति संलग्न कर भेज रहा हूँ।

कृपया पावती स्वीकार किया जाय।

अनुग्नकः– 42(बियालीस) पारित निर्णय की
छाया प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन,

(धर्मेन्द्र कुमार) 2.1.15
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सचिव कोषांग ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना 06 JAN 2015

Ombudsman,mgnrega,Madhepura.

(79)

निर्णय

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

परिवाद/शिकायत आवेदक श्री टुनटुन मंडल पिता स्व0 देबो मंडल एवं अन्य लगभग 20 शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत– नरदह वार्ड न0–01,प्रखंड–पुरैनी,जिला–मधेपुरा द्वारा दूरभाष के मध्यम से किया गया शिकायत मनरेगा योजना में काम कराने के बावजूद भी मजदूरी नहीं देने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं (मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य) में सभी मजदूरों से काम कराने के उपरान्त किसी को भी मजदूरी नहीं दिया गया एवं मजदूरी देने के नाम पर सभी मजदूरों को उपमुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत नरदह के द्वारा रात्रि के लगभग 10 बजे 100–100 रू. सभी मजूदरों को देकर फर्जी तरीके से मस्टर रोल एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान लगवा लिया एवं पासबुक तथा जॉबकार्ड जब्त कर लिया। इस संबंध में कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,पुरैनी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गय है कि टुनटुन मंडल पिता स्व0 देबो मंडल के द्वारा नरदह पंचायत के किसी योजना में काम नहीं किया गया है जिसकी पुष्टी वहाँ के ग्रामीणों ने भी की है,मस्टर रॉल में भी कहीं उनका नाम नहीं है। नरदह पंचायत की योजना पी.डब्लू.डी. सड़क से उपेन्द्र मेहता के घर तक ईट सौलिंग जीर्णोद्धार कार्य,शंभुचौधरी के घर से बिनो साह के घर तक ईट सौलिंग जीर्णोधार कार्य एवं पी.डब्लू.डी. रोड से नरदह पोखर तक सड़क में मिट्टी भराई,ईट सौलिंग सह पुलिया निर्माण कार्य के किसी योजना में टुनटुन मंडल का नाम मस्टर रोल में अंकित नहीं है और उपरोक्त योजना में कार्य करने वाले मजदूरों ने भी अपना ब्यान देकर इस बात की पुष्टि की है।

टुनटुन मंडल से संपर्क करने पर उन्होंने भी बताया कि मेरी ओर से ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया है और न हीं दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई है। पंचायत में राशि के अभाव में मजदूरों का भुगतान लंबित है। राशि आते हीं उनको भुगतान कर दी जायेगी। राशि मजदूरों को खाते के माध्यम से भुगतान की जाती है न कि नगद द्वारा। सभी मजदूरों का पासबुक एवं जॉब कार्ड मजदूरों के पास हीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

D Kumar 28.10.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 156 (लो.)/ दिनांक 28 अक्टूवर 2014 ई0।

प्रतिलिपिः– टुनटुन मंडल पिता स्व0 देबों मंडल ग्राम पंचायत–नरदह,प्रखंड–पुरैनी सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत नरदह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

D Kumar 28.10.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

निर्णय

परिवाद/शिकायतकर्त्ता श्री ज्ञानसागर दास ग्राम–वृन्दावन,पो0+पंचायत–दीनापट्‌टी सखुआ,प्रखंड–मुरलीगंज,जिला–मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत दीनापट्‌टी सखुआ में मनरेगा योजना से वर्ष–2010–11 में मिट्‌टी भराई एवं आर.सी.सी. पुल निर्माण और वर्ष 2011–12 में सखुआ पासवान टोला हाट से बेलदौर नहर तक मिट्‌टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य में घोर अनियमितता से संबंधित है। इस संबंध में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन लोकपाल,मनरेगा,मधेपुरा को उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि मेरे द्वारा योजना का स्थलीय जाँच किया गया। स्थलीय जाँच में पाया गया कि वर्ष–2010–11 में योजना मिट्‌टी एवं आर.सी.सी. पुल निर्माण का था वह पूर्ण करा ली गई है। मिट्‌टी कार्य पूर्ण हो चूँका है,चूँकि योजना दो वर्ष पुरानी है इसलिए कहीं–कहीं मिट्‌टी बरसात के कारण बह गया है। आर.सी.सी. पुल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और इन दोनों योजना में कहीं कोई गड़वरी प्रतीत नहीं होता है। स्थलीय जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों से भी पूछ–ताछ की गई एवं योजना में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछ–ताछ किया गया। किसी भी व्यक्तियों द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया एवं कोई भी मजदूर के द्वारा मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत नहीं की गई। अभिलेखीय जाँचोपरान्त पाया गया कि:–

1. योजना सं0–07/2010–11 योजना का नाम–वृंदावन बड़ी नहर से पश्चिम सड़क में पोखराम सीमा तक मिट्‌टी भराई एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य। इसका प्राक्कलित राशि–4,36,223 रू. है,तथा मापी पुस्त की राशि–4,13,901 रू. का है। इस योजना का क्रियान्वयन ऐजेन्सी पंचायत रोजगार सेवक,श्री बिहारी राम है।

वर्ष–2011–12 में सखुआ पासवान टोला से बेलदौर नहर तक मिट्‌टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य में घोर अनियमितता से संबंधित शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मेरे द्वारा स्थलीय जाँच किया गया एवं ग्रामीणों से पूछ–ताथ किया गया। जाँच के क्रम में पाया कि सखुआ पासवान टोला से बेलदौर नहर तक मिट्‌टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य पूर्ण कर ली गई है एवं कार्य संतोषजनक है। कार्य दो वर्ष हो जाने के कारण मिट्‌टी कहीं–कहीं बह गया है एवं ईट सोलिंग कहीं–कहीं उखर गया है और सड़क कहीं–कहीं धस गया है। ग्रामीणों से भी जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कार्य स्थल पर कार्य बिलकुल सही–सही हुआ एवं हमलोगों के देख–रेख में हुआ है। उक्त योजना में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछ–ताछ किया गया तो किसी भी मजदूर के द्वारा मजदूरी नहीं मिलने का शिकायत नहीं किया गया। अभिलेखीय जाँचोपरान्त पाया गया कि:–

2. योजना सं0–02/2011–12 योजना का नाम–सखुआ पासवान टोला बेलदौर नहर से सखुआ बस्ती तक मिट्‌टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य,जिसकी प्राक्कलित राशि–9,97,038 रू. है। मापी पुस्त की राशि–9,02,722 रू. है। इस योजना में मजदूरी पर व्यय–4,53,170 रू. का हुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

लोकपाल मनरेगा, 29.11.14
मधेपुरा।

निर्णय

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

परिवाद/शिकायतकर्त्ता श्री लालो ऋषिदेव(वार्ड नं0–05) पिता स्व0 रघुनी ऋषिदेव एवं श्यामसुन्दर ठाकुर (वार्ड नं0–04) ग्राम रामगंज, ग्राम पंचायत कुमारखंड, प्रखंड–कुमारखंड,जिला–मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत बी.पी.एल. परिवार को मिट्टी भराई कार्य से वंचित रखने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि उक्त दोनो वार्ड में सभी बी.पी.एल. परिवार के घर में मिट्टी भराई कार्य किया जाना था किन्तु तीन–चार घरों में मिट्टी भराई कार्य किया और बोर्ड पर लिख दिया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा के द्वारा इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी,कुमारखंड से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,कुमारखंड द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि लालो ऋषिदेव के द्वारा लिखित प्रतिवेदित किया गया है कि मेरे घर–आंगन में मिट्टी भराई हो गया है,जिससे मैं संतुष्ट हूँ साथ हीं आवेदक श्री श्यामसुन्दर ठाकुर वार्ड सं0–04 के सरदार टोला के वासी हैं, उस वार्ड में अभी तक राशि के अभाव में मिट्टी भराई कार्य का कोई अभिलेख नहीं खोला गया है। राशि प्राप्त होते हीं सभी इच्छुक लाभार्थी के घर–आंगन में मिट्टी भराई कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,कुमारखंड के द्वारा प्रतिवेदित अभिलेखीय विवरणी इस प्रकार हैः–

1. योजना का नामः– महादलित टोला में बी.पी.एल. लाभार्थी के जमीन में मिट्टी भराई कार्य।
2. योजना सं0/वर्षः– 24/2013–14
3. प्राक्कलित राशिः– 8,80,412=00 रू.
4. मापीपुस्त की राशिः– 4,82,658=00 रू.
5. व्यय की गई राशिः– 3,900=00 रू.

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन एवं शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

D Kumar 29.11.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 170 (लो.)/ दिनांक 29 नवम्बर 2014 ई0।

प्रतिलिपिः– शिकायतकर्ता, श्री लालो ऋषिदेव पिता स्व0 रघुनी ऋषिदेव (वार्ड नं0–05) एवं श्री श्यामसुन्दर ठाकुर (वार्ड सं0–04) ग्राम रामगंज,ग्राम पंचायत–कुमारखंड, प्रखंड–कुमारखंड जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम पदाधिकारी,कुमारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

D Kumar 29.11.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

निर्णय

परिवाद / शिकायतकर्त्ता श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व0 परमेश्वरी मेहता , ग्राम पंचायत पुरैनी वार्ड नं0–08,प्रखंड पुरैनी जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना से मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य में भारी अनियमितता से संबंधित है। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत किया गया है कि पुरैनी ग्राम पंचायत के वार्ड नं0–08 में मनरेगा योजना से बिषहरी स्थान से लेकर सहेन्द्र सिंह के घर तक मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य करना था परन्तु तत्कालीन मुखिया श्रीमति ललीता देवी एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री राजेश रंजन के द्वारा कार्य स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का हीं कार्य कहीं–कहीं किया गया एवं ईट सौलिंग कार्य बिलकुल हीं नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,पुरैनी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड पुरैनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरैनी की योजना बिषहरी स्थान ईट सौलिंग से सुखदेव मेहता के घर तक जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य जिसकी योजना सं0–01 / 2009–10 है और इस योजना की प्राक्कलित राशि–70900 रू. मात्र की है। और पुनरीक्षित प्राक्कलन–82004 रूपये की है। मापी पुस्त की राशि–78004 रू0 की है। स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रतीत होता है कि अभिकर्त्ता श्री राजेश रंजन,पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है। प्राक्कलन सिर्फ मिट्टी भराई कार्य का है,ईट सौलिंग का नहीं है। मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। कार्य करते हुए मजदूरों का भी फोटो अभिलेख में संलग्न है और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी बतलाया गया कि मिट्टी भराई का कार्य हुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

D Kumar
लोकपाल मनरेगा, 23.12.14
मधेपुरा।

ज्ञापांक 182 (लो.) / दिनांक 23 वीं, दिसम्बर 2014 ई0

प्रतिलिपिः– श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व0 परमेश्वरी मेहता ग्राम पंचायत पुरैनी वार्ड सं0–08,प्रखंड पुरैनी जिला मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम पदाधिकारी,पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

D Kumar
लोकपाल मनरेगा, 23.12.14
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

निर्णय

परिवाद/शिकायतकर्त्ता श्रीमति उरिया देवी पति–स्व0 रामलखन राम, ग्राम–बुढ़ी,पो0–मुरहो,ग्राम पंचायत–मुरहो, प्रखंड + जिला–मधेपुरा द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का जॉब कार्ड अभी तक नहीं बना है। मैं एक विधवा महिला हूँ, मैं मनरेगा योजना में काम करना चाहती हूँ। मेरा खाता सं.–33873765938 (सी.एस.पी. नाढ़ी) है। शिकायतकर्ता के द्वारा कई बार पंचायत रोजगार सेवक,मुखिया एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से काम की मांग किया परन्तु उसके द्वारा शिकायतकर्ता को काम नहीं दिया गया। इस संबंध में कार्यालय, लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,मधेपुरा से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता उरिया देवी को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसका जॉब कार्ड सं.–2537 है। शिकायतकर्ता को काम भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता को मुरहो पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0–11 में बी.पी.एल. परिवार के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य में कार्य का आवंटन कर दिया गया है तथा दिनांक–11.12.2014 से 24.12.2014 तक का ई–मस्टर रॉल क्रमांक–4285 निर्गत किया जा चुका है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

D Kumar 27.12.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 188 (लो.) दिनांक 27 वीं,दिसम्बर 2014 ई0।

प्रतिलिपिः– श्रीमति उरिया देवी पति स्व0 रामलखन राम, ग्राम–बुढ़ी,ग्राम पंचायत–मुरहो,प्रखंड+जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

D Kumar 27.12.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

(१५)

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

निर्णय

परिवाद/शिकायतकर्त्ता श्री राजेन्द्र ऋषिदेव पिता स्व0 दुलारचन्द ऋषिदेव एवं अन्य 36 मजदूर ग्राम–पंचायत रजनी, मंदिर टोला वार्ड सं0–13 प्रखंड–मुरलीगंज द्वारा किया गया शिकायत मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत रजनी से प्राप्त शिकायत आवेदन सुमित कुमार मंडल,पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत–रजनी,प्रखंड मुरलीगंज के द्वारा बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर 110–/रू. ले लिया है। जबकि पासबुक अभी तक नहीं दिया है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि हमलोग मनरेगा योजना में काम करना चाहते हैं। काम की मांग के लिए आवेदन भी दिया था। पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा सभी मजदूरों को कहा गया कि पहले अपना–अपना बैंक में खाता खुलवाओ फिर काम देंगे। इस एवज में पंचायत रोजागर सेवक श्री सुमित कुमार मंडल ने प्रत्येक मजदूर से 110/–रू0 नकद राशि लिया परन्तु अभी तक न हीं पासबुक दिया और न हीं काम हीं उपलब्ध करा सका। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज से कार्यालय लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई । कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से आवश्यक कागजात उपलब्ध करते हुए पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत रजनी को वसुधा केन्द्र के सहयोग से 07 (सात) दिनों के अंदर खाता खुलवाने हेतु कहा गया। खाता खोलने के उपरान्त भवदीय को सूचित कर दिया जायेगा।

सभी शिकायतकर्ता का नाम एवं पता निम्न प्रकार हैः–

क्र.	मजदूर का नाम	पिता/पति का नाम	पता	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	अरूण राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
2.	मनोज राम	चमरू राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
3.	सनजया राम	स्व0 रमोतार राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
4.	बरूण राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
5.	सत्तो राम	स्व0 मिसरी राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
6.	जया देवी	बिरेन्द्र राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
7.	सिकेन्दर राम	स्व0 दुखा राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
8.	उमेश राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
9.	दिनेश राम	स्व0 मिसरी राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
10.	नन्दू राम	स्व0 भद्री राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
11.	शंभू राम	भूवनेश्वर राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
12.	कोशल्या देवी	अरूण राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
13.	पूणम देवी	उमेश राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
14.	सूकुमारी देवी	बरूण राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
15.	गणेश राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
16.	आशा देवी	संजय राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
17.	परिया देवी	स्व0 कारी राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
18.	सुभाष राम	नन्दू राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
19.	पप्पू राम	सरुप राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
20.	गौरी देवी	सिकेन्दर राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
21.	संजय राम	स्व0 रामोतार राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
22.	गुड़िया देवी	सनोज राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
23.	उपेन्द्र राम	स्व0 चमरू राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	
24.	आशा देवी	अशोक राम	ग्राम पंचायत–रजनी,वार्ड नं0–13,मुरलीगंज	

Ombudsman,mgnrega,Madhepura.

25.	संतोष राम	स्व0 बिरेन्द्र राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
26.	रिंकु देवी	संतोष राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
27.	मुखरी देवी	राजेन्द्र ऋषिदेव	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
28.	रामदेव ऋषिदेव	राजेन्द्र ऋषिदेव	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
29.	जालो देवी	सत्तो राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
30.	प्रभा देवी	मनोज राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
31.	सरोज राम	मनोज राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
32.	चन्दन राम	अरुण राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
33.	शंकर राम	भीरो राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
34.	सरदीप राम	सीताराम राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
35.	कपिलदेव राम	तेतर राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
36.	मंजूला देवी	स्व0 रामोतार राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है एवं कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज को निर्देश दिया जाता है कि आपके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी शिकायतकर्ता का खाता 07(सात) दिनों के अंदर खुलवाकर भवदीय को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। सभी शिकायतकर्ता का खाता खुलवाते हुए निर्णय प्राप्ति के 02(दो) दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

DKumar
लोकपाल,मनरेगा, 31.12.14
मधेपुरा।

ज्ञापांक–189.(लो.)/दिनांक–31.वीं,दिसम्बर 2014 ई0।

प्रतिलिपिः– श्री राजेन्द्र ऋषिदेव पिता स्व0 दुलारचन्द ऋषिदेव एवं अन्य सभी शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत–रजनी वार्ड नं0–13,प्रखंड मुरलीगंज,जिला मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

DKumar
लोकपाल,मनरेगा, 31.12.14
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा।

पत्रांक-152(लो),

प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार बिहारी
विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार,पटना।

मधेपुरा,दिनांक 14,अक्टूबर 2014 ई०।

विषयः- **वित्तीय वर्ष-2013-14 एवं 2014-15 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंगः- **भवदीय का पत्रांक-202564 दिनांक-23.09.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कार्यालय, लोकपाल,मनरेगा,मधेपुरा का वित्तीय वर्ष-2013-14 एवं 2014-15 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

कृपया पावती स्वीकार किया जाय।

अनुग्नकः- यथोक्त!

विश्वासभाजन,

14-10-14
(धर्मेन्द्र कुमार)
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

वर्ष–2014–15 का प्रतिवेदनः–(माह सितम्बर–2014 तक)

क्र.	दिनांक–01.04.2014 तक लंबित वादों की सं0	2014–15 में वादों की सं0	कुल वादों की सं0	निष्पादित वादों की सं0	लंबित वादों की सं0	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05		
1.	123	139	262	200	62	———

D Kumar 14-10-14
लोकपाल,मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा

वर्ष–2013–14 का प्रतिवेदनः–

क्र.	वित्तीय वर्ष– 2013–14 में कुल वादों की सं0	वित्तीय वर्ष 2013–14 में निष्पादित वादों की सं0	वित्तीय वर्ष 2013–14 तक लंबित वादों की सं0	अभ्युक्ति
01	*02*	*03*	*04*	*05*
1.	163	40	123	–––

DKumar 14-10-14
लोकपाल,मनरेगा,
मधेपुरा।

Ombudsman ,mgnrega,madhepura

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा

वर्ष–2013–14 में सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों जिनके द्वारा मनरेगा योजना में अनियमितता बरती गई के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं अनुसंशित कार्रवाई की सूचीः–

क्र.	सरकारी/गैरसरकारी व्यक्तियों का नाम/पता	की गई कार्रवाई	कार्रवाई के लिए की गई अनुशंसा	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	1. कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा,मुरलीगंज 2. पंचायत तकनीकि सहायक,मुरलीगंज 3. पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत–नाढ़ी	शिकायत का विषय ग्राम पंचायत नाढ़ी में कुआँ निर्माण कार्य में विचौलिया द्वारा घटिया सामग्री से कार्य कराये जाने से संबंधित है। जो जाँचोपरान्त सत्य पाया गया।	इस कार्यालय के पत्रांक–12 दिनांक–16. 05.2013 के द्वारा उप विकास आयुक्त,मधेपुरा को दोषी के विरूद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया गया।	की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।
2.	श्री मनीष कुमार पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत नयानगर प्रखंड–उदाकिशुनगंज	शिकायत का विषय अन्तर जिला में पोखर का कार्य प्रारंभ करने से संबंधित की जाँचोपरान्त सत्य पाया गया।	इस कार्यालय के पत्रांक–26 दिनांक–11. 06.2013 के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा,उदाकिशुनगंज को पंचायत रोजगार सेवक के वेतन से मो0–39,00 /–रू. कटौती कर संबंधित खाते मे जमा करने के लिए अनुशंसा किया गया।	पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मो0–39,00 /–रू. संबंधित खाता में जमा कर देने का प्रतिवेदन प्राप्त
3.	पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत–घैलाढ़ प्रखंड–घैलाढ़	शिकायत का विषय घैलाढ. पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0–09 में मनरेगा का राशि गवन करने वाले पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज अथवा राशि वसूली करने से संबंधित जाँच की गई। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के निदेशानुसार कार्यक्रम पदाधिकारी,	————	

		घैलाढ़ के द्वारा पत्रांक–21,दिनांक – 04.06.2013 द्वारा संबंधित पंचायत रोजगार सेवक से राशि की वसूली की गई। प्रतिवेदित किया गया।		
4.	1. कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा,मुरलीगंज प्रखंड–मुरलीगंज। 2. पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत–रजनी प्रखंड–मुरलीगंज।	शिकायत का विषय मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत रजनी में मनरेगा योजना अन्तर्गत योजनाओं में अनियमितता की जाँच की गई। इस कार्यालय के पत्रांक–30 दिनांक–11.02.2014 एवं पत्रांक–56 दिनांक–24.03.2014 के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं पंचायत रोजगार सेवक,ग्राम पंचायत रजनी को प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण कराकर प्रतिवेदित करने हेतु लिखा गया।	————	प्रतिवेदन अप्राप्त
5.	कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा,मधेपुरा प्रखंड–मधेपुरा।	शिकायत का विषय वनपोषक में बहाल एवं काम कराने के बावजूद भी राशि नहीं देने सं संबंधित है। उक्त शिकायत की जाँच कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा से कराई गई। जाँचोंपरान्त शिकायतकर्ता को मनरेगा अधिनियम के नियमानुसार 22 दिनों का बेरोजगारी भत्ता मो0– 891/– रू. कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा भुगतान कराया गया।	————	**ATR** की छाया प्रति संलग्न

D Kumar 14-10-14
लोकपाल,मनरेगा,
मधेपुरा।

प्रखंड मनरेगा कार्यालय मधेपुरा

पत्रांक– ९८

प्रेषक,

कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रेषित,

श्री मति पुनिया देवी,
पति– श्री जितेन्द्र ऋषिदेव,
ग्राम पंचायत– मुरहो वार्ड नं0–3

मधेपुरा, दिनांक – [illegible]

विषय : बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में।

प्रसंग: लोकपाल मनरेगा के पत्रांक 57, दिनांक 31.03.2014

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा काम की मांग दिनांक–24.10.2013 से किया गया था। परंतु दिनांक– 08.11.2013 तक 15 दिन पूरा होने के उपरांत भी कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उक्त संबंध में आपके द्वारा लोकपाल मनरेगा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। लोकपाल मनरेगा द्वारा सुनवाई उपरांत बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश दिया गया है। आपके द्वारा दिनांक–08.11.2013 से दिनांक–29.11.2013 तक कुल 22 दिन की बेरोजगारी भत्ता की मांग की गई है। आपको ज्ञात हो कि ससमय काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मनरेगा मार्गदर्शिका के आलोक में प्रथम 30 दिन तक दैनिक मजदूरी का एक चौथाई बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस प्रकार आपको 22 दिन की बेरोजगारी भत्ता कुल मो0– 891.00 रू0 दिया जाना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि प्रखंड मनरेगा कार्यालय मधेपुरा से उक्त राशि का चेक प्राप्त कर लें। पुनः यदि आप मनरेगा में अकुशल कार्य के इच्छुक हैं तो काम की मांग हेतु आवेदन दे सकते हैं आपको कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन

कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रतिलिपि : लोकपाल मनरेगा मधेपुरा को सूचनार्थ ।
प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ।

कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।